[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री अखिलेश कुमार मिश्र आर. ए. एस.

अपील संख्या– 182/2016 (22 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. श्रीमती न्यामती धर्मपत्नि श्री राम सिंह जाति जाटव जाति ठाकुर निवासी रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर

..................अपीलार्थ

बनाम

1. मुन्न सिंह
2. लक्ष्मण सिंह
3. भगवान सिंह
4. उदयन सिंह

पिसरान श्री हरिकिशन जाति जाटव ठाकुर निवासी रामपुरा मथुरा मलाह तहसील व जिला भरतपुर।

.... रेस्पॉडे

अपील संख्या– 184/2016 (22 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. श्रीमती न्यामती धर्मपत्नि श्री राम सिंह जाति जाटव जाति ठाकुर निवासी रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

..................अपील

बनाम

1. मुन्न सिंह
2. लक्ष्मण सिंह
3. भगवान सिंह
4. उदयन सिंह

पिसरान श्री हरिकिशन जाति जाटव ठाकुर निवासी रामपुरा मथुरा मलाह तहसील जिला भरतपुर।

.... रेस्प

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.0
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर प्रकरण
307/2008, 308/2008 उनवानी श्रीमती
बनाम मुन्न सिंह।

उपस्थिति:–

1. श्री कैलाश चन्द अग्रवाल वकील अपीलार्थ।
2. श्री लालीराम वकील रेस्पोंडेंट।

अखिलेश कुमार मिश्र
उपखण्ड अपील प्राधिकारी

निर्णय   दिनांक—23.03.2021

1. यह दोनों अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त दोनों अपीलो में समान आराजी व समान पक्षकार अन्तर्निहित होने से दोनो अपीलो को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनो पत्रावलियों में शामिल की जावें। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रैस्पो0 ने एक दावा संख्या 307/08 विरूद्ध प्रतिवादिया/अपीलाण्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 120/0.88 वाके ग्राम रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर पर वादीगण/रैस्पो0 के पिता हरीकिशन अविभाजित व काबिज खातेदार कृषक रहे हैं। उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण/रैस्पो0 समस्त आराजी पर हिस्सा बराबर खातेदार काबिज काश्त हैं। हाल खसरा नम्बर 120/0.88 को गत खसरा नंबर 87 मिन रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा से बनाया गया है। हाल सैटलमेण्ट में गलती से नवीन खसरा नम्बर 120/0.88 को बनाते समय प्रतिवादिया/अपीलाण्ट का नाम 01 बीघा पर बतौर खातेदार खिलाफ कब्जा, मौका व कानून अंकित हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादिया/अपीलाण्ट का नाम कलमजन कर, वादीगण/रैस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादिया/अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादिया/अपीलाण्ट ने अपील संख्या 182/2016 इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. दूसरी अपील संख्या 184/2016 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया/अपीलाण्ट श्रीमती न्यारसी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 120/0.88 है0 वाके ग्राम मलाह में वादिया/अपीलाण्ट 01 बीघा की तथा प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के पिता हरीकिशन 03 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार कृषक हैं। मौके पर मनबट से उभयपक्षकारान काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 बिना विधिवत विभाजन कराये विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डो के रूप में विक्रय करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर अपना पृथक खाता व लगान कायम करने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादिया/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों अपीलों में एक साथ, बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01, 02 का निर्णय करते समय कानून के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये जाने में महान भूल की है। चूंकि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्णरूपेण था कि अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी व मौखिक साक्ष्य में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया इसके विपरीत रैस्पो0 द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य बन्द कर दी गयी। अपीलाण्ट ने बृजकिशोर पुत्र शिवचरण से उसके हिस्से की आराजी 01 बीघा को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट का जब राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज हुआ तब रैस्पो0 ने कोई आपत्ति नहीं की एवं ना ही उस नामान्तकरण प्रक्रिया के विरूद्ध ही कोई कार्यवाही यथा अपील आदि प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार अपीलाण्ट विवादित आराजी पर रिकार्डेड खातेदार हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

इसके अतिरिक्त उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट यहाँ नहीं रहती है अपीलान्ट के [illegible] रहने या ना रहने से अपीलान्ट की आराजी पर क्या असर पड़ता है स्पष्ट नहीं किया। यदि रेस्पोण्डेन्ट की कोई आराजी कम हो गयी है तो उस रकबा की बाबत [illegible] हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त [illegible] का रकबा अपीलान्ट को न देकर सम्पूर्ण [illegible] रेस्पोण्डेन्ट को खातेदार घोषित किया गया है जो खिलाफ कानून है। रेस्पोण्डेन्ट ने अपने दावे के [illegible] कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके [illegible] रेस्पोण्डेन्ट [illegible] यह मानता है कि ब्रजकिशोर 01 बीघा का [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा भूमि खातेदारी में थी। [illegible] विवादित आराजी का [illegible] अपना हिस्सा आराजी न्यायसी अपीलान्ट को विक्रय किया गया है। भू [illegible] किसी प्रकार की गलती नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोण्डेन्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन सही व विधि अनुरूप है। अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट का नाम गत खसरा नम्बर 87 किता रकबा 01 बीघा की खातेदारी का अंकन किसी भी गत जमाबन्दी में नहीं है। उन्हें एक बीघा रकबा कहाँ से प्राप्त हुआ न तो दावे में वर्णन किया है एवं ना कोई दस्तावेज ही पेश किया है जिससे अपीलान्ट की खातेदारी प्रमाणित होती हो। [illegible] की गलती से अपीलान्ट के नाम आ गये हैं। न्यायसी गाँव [illegible] की निवासी भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पेज [illegible], [illegible] 1983 पेज 84, 1982 पेज 695 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षकारों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु वादसूची सहित पाँच तनकियाँ बनाई गयी है एवं प्रत्येक तनकी की साक्ष्यों से पूर्ण विवेचना की है। अपीलान्ट/वादिया अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुई है। अपीलान्ट/वादिया विवादित आराजी को बृजकिशोर पुत्र शिवचरण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करना बताते हुए विवादित आराजी का अपने नाम बंटवारा करवाकर खाता अलग करवाने का दावा करती है। इस दावे की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह कथित विक्रय पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में पेश करती, जिससे उनका विवादित आराजी [illegible] 01 बीघा रकबा पर खातेदारी प्रमाणित होती हो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में न तो कथित विक्रय पत्र ही उपलब्ध है एवं ना ही गत जमाबन्दी में उनके अथवा उनके [illegible] नाम अंकित होने वाला कोई भी अभिलेख प्रस्तुत हुआ है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार [illegible] बन्दोबस्त हाल खसरा नम्बर 120/0.63 है0 को गत खसरा नम्बर 87 किता रकबा 03 बीघा [illegible] बिस्वा से बनाया जाना प्रमाणित है। नकल जमाबन्दी संवत 2028–31 के अनुसार गत खसरा नम्बर 87 किता रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा पर हरीकिशन पुत्र भुल्लन सिंह जाति ठाकुर राजपूत [illegible] गैर खातेदार खाता 13 का अंकन है। नकल जमाबन्दी संवत 2028–31 पर ही गत खसरा नम्बर 87 किता रकबा 01 बीघा पर बृजकिशोर पुत्र शिवचरण जाति श्रीवास्तव कायस्थ साकिन भरतपुर [illegible] खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबंदी में वादिया/अपीलान्ट का नाम कहीं भी अंकित नहीं है [illegible] वादिया/अपीलान्ट को यह रकबा कहाँ से प्राप्त हुआ का कोई स्त्रोत नहीं बता पायी है [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत् तनकी संख्या 01 एवं 02 में तार्किक विवेचना की है एवं [illegible]

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)